

राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(36)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2013/1274-1377 दिनांक : 04-01-2014

परियोजना प्रबन्धक (समस्त),
वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद

विषय :- आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत त्रिस्तरीय मोनिटरिंग सिस्टम की सूचना बाबत।
प्रसंग :- विभागीय आदेश क्रमांक 3771-4040 दिनांक 30.09.2013 के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक आदेश द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के प्रभावी संचालन एवं मोनिटरिंग के उद्देश्य से प्रतिमाह जलग्रहण समिति, परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी एवं वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर के स्तर पर बैठक आयोजित कर प्रत्येक स्तर पर बिन्दुवार कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त निर्देशों के क्रम में प्रत्येक स्तर पर आज दिनांक तक आयोजित की गयी बैठकों की सूचना निम्नानुसार प्रपत्र में भिजवाना सुनिश्चित करे :-

1. जलग्रहण समिति स्तर पर :-

क्र.सं.	जिला	परियोजना का नाम	उप समिति (जलग्रहण) का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक दिनांक


2. परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी स्तर पर :-

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	पी.आई.ए. के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक दिनांक

3. वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर स्तर पर :-

क्र.सं.	जिला	परियोजना प्रबन्धक के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक दिनांक

उक्त सूचना अविलम्ब ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करे। भविष्य में उक्त सूचना विभागीय वेब साइट के ऑन लाइन मोनिटरिंग सिस्टम पर नियमित रूप से फिडिंग किया जाना सुनिश्चित करे।



निदेशक

P. T. O.

क्रमांक : एफ.18(36)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2013/
प्रतिलिपि :-

दिनांक :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, डब्ल्यू.सी.डी.सी. (समस्त)
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
9. जिला प्रभारी (समस्त) को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना जिलों से प्राप्त कर एम.आई. ई.एस. शाखा को उपलब्ध करावें।
10. संयुक्त निदेशक (एम.आई.ई.एस.) को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना संकलित करावें एवं उक्त फोरमेट अविलम्ब विभागीय वेब साइट पर ऑन लाइन मोनिटरिंग सिस्टम में अपलोड करावें, ताकि इसकी नियमित मोनिटरिंग की जा सके।


निदेशक